

# कार्यालय वनमंडलाधिकारी दक्षिण (सा.) वनमण्डल



## बालाघाट (म.प्र.)

दूरभाष नं.-(07632-248414)  
Email - dfotsbghat@mp.gov.in

कमांक/मा0चि0/  
प्रति,

566

बालाघाट, दिनांक 24/01/2023

महाप्रबंधक,  
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,  
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र.-1,  
बालाघाट (म.प्र.)

विषय:- बालाघाट जिले में लांजी तहसील अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के तहत सीतापाला टाटीकल से कोसमदेही तक सड़क निर्माण कार्य किये जाने हेतु प्रस्तावित प्रभावित वनभूमि रकबा 12.69 हे० की वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वनभूमि व्यपवर्तन की शासन स्वीकृति प्रदान करने बाबद्। ऑन लाईन प्रस्तुत प्रस्ताव क्रमांक/FP/MP/ROAD/156164/2022

संदर्भ :- आपका पत्र कमांक/104/तक/म0प्र0ग्रासप्रा/2023, दिनांक 13.01.2023

—00—

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत प्रकरण प्रस्ताव में म0प्र0 शासन वन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र आदेश कमांक -एफ-5-14/2005/10-3 दिनांक 30 जुलाई 2012 में दिये गये निर्देशानुसार पंजीयन शुल्क की राशि रू० 1,000/- (रू० एक हजार मात्र) एवं प्रोसेसिंग शुल्क की राशि रू० 5,000/- (रू० पाँच हजार मात्र) का भुगतान कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) म0प्र0 भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-11/2018/10-11/3753 दिनांक 05.12.2018 (उक्त पत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है) द्वारा दिये गये निर्देशों एवं प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाईन मध्यप्रदेश ट्रेजरी के वेबपोर्टल पर तत्काल करने का कष्ट करें। तथा ऑनलाईन भुगतान करने के बाद प्राप्ति रसीद का प्रिंट आउट निकाल कर सत्यापित प्रति इस वनमण्डल कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ताकि आपके संस्थान/विभाग द्वारा उपरोक्त किये गये भुगतान की रसीद इस कार्यालय में उपलब्ध कराने पर रसीद में उल्लेखित CRN क्रमांक से कोषालय की वेबसाईड में जाकर किये गये भुगतान की पुष्टि की जा सके। तथा इस संबंध में किये गये भुगतान की जानकारी से वनवृत्त कार्यालय बालाघाट को अवगत कराया जा सके, तथा उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव में नियमानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

उपरोक्तानुसार पंजीयन/प्रोसेसिंग शुल्क वापसी योग्य नहीं (non-refundable) होगा।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(उल्लेखित पत्रों की छायाप्रति)

वनमंडलाधिकारी  
दक्षिण (सा०) वनमंडल बालाघाट  
बालाघाट, दिनांक 24/01/2023

पृ०कमांक/मा०चि०/  
प्रतिलिपि :-

567

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के तारतम्य में सूचनार्थ संप्रेषित।
2. वन संरक्षक, बालाघाट वनवृत्त, बालाघाट (म.प्र.) की ओर उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र जिसकी प्रतिलिपि आपकी ओर पृष्ठांकित प्रेषित है, के तारतम्य में सूचनार्थ संप्रेषित।
3. प्रमुख अभियंता, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, पर्यावास भवन, भोपाल की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संबंध में सूचनार्थ अग्रेषित।
4. कलेक्टर, जिला-बालाघाट (म.प्र.) की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संबंध में सूचनार्थ संप्रेषित।
5. उपवनमण्डलाधिकारी, लांजी (सा०) उपवनमण्डल एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी पूर्व लांजी (सा०) परिक्षेत्र की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संबंध में सूचनार्थ अग्रेषित।
6. शाखा प्रभारी राजस्व शाखा, वनमण्डल कार्यालय की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संबंध में सूचनार्थ अग्रेषित।

वनमंडलाधिकारी  
दक्षिण (सा०) वनमंडल बालाघाट  
बालाघाट, दिनांक 24/01/2023



मध्यप्रदेश शासन  
वन विभाग  
मंत्रालय, बल्लभ भवन भोपाल

1. आदेश।।

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई, 2012

क्रमांक-एफ-5-14/2005/10-3 :: वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी उपयोग हेतु व्यपवर्तित होने वाली वन भूमि पर झाप क्रमांक-935/10/3/2000 दिनांक 22 फरवरी, 2000 से लिये जा रहे पंजीयन/प्रोसेसिंग शुल्क की दरों को पुनरीक्षित करने एवं इसी प्रकार सर्वेक्षण/पूर्वक्षण के प्रकरणों में भी पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क लिये जाने हेतु राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है।

2/ उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन एतद्वारा वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु व्यपवर्तित वनभूमि के प्रकरणों में पंजीयन/प्रोसेसिंग शुल्क की पुनरीक्षित दरें एवं सर्वेक्षण/पूर्वक्षण के प्रकरणों में पंजीयन/प्रोसेसिंग शुल्क की दरें आदेश जारी होने के दिनांक से निम्नानुसार निर्धारित करता है :-

वन भूमि व्यपवर्तन के प्रकरण

(1) पंजीयन शुल्क रु. 5000/- प्रति प्रस्ताव।

(2) प्रोसेसिंग शुल्क :-

भारत सरकार एवं अन्य राज्य सरकार/केन्द्र शासित सरकार के विभाग/उपक्रम के प्रकरण

क्र.	श्रेणी	शुल्क (रु.में)
1.	40 हेक्टेयर तक के वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्तावों के लिए	30,000.00
2.	40.1 से 100 हेक्टेयर तक के वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्तावों के लिए	50,000.00
3.	100.1 से 250 हेक्टेयर तक के वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्तावों के लिए	75,000.00
4.	250 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि के प्रस्तावों के लिए	1,50,000.00

निजी संस्थानों के प्रकरण

क्र.	श्रेणी	शुल्क (रु.में)
1.	5 हेक्टेयर तक के वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्तावों के लिए	25,000.00
2.	5.1 से 10 हेक्टेयर तक के वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्तावों के लिए	50,000.00
3.	10.1 से 15 हेक्टेयर तक के वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्तावों के लिए	75,000.00
4.	15.1 से 40 हेक्टेयर तक के वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्तावों के लिए	1,50,000.00
5.	40 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि के प्रस्तावों के लिए	2,00,000.00

मध्यप्रदेश शासन के विभाग/उपक्रम के प्रकरण

(1) पंजीयन शुल्क रु. 1000/- प्रति प्रस्ताव।

(2) प्रोसेसिंग शुल्क:-

क्र.	श्रेणी	शुल्क (रु.में)
1.	50 हेक्टेयर तक के वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्तावों के लिए	5,000.00
2.	51 से 100 हेक्टेयर तक के वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्तावों के लिए	7,500.00
3.	101 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि के प्रस्तावों के लिए	15,000.00

*Raw*



सर्वेक्षण/पूर्वेक्षण के प्रकरण

- (1) पंजीयन शुल्क रु. 5000/- प्रति प्रस्ताव।
- (2) प्रोसेसिंग शुल्क :-

भारत सरकार एवं अन्य राज्य सरकार/केन्द्र शासित सरकार के विभाग/उपक्रम के प्रकरण

क्र.	श्रेणी	शुल्क (रुपये में)
1.	40 हेक्टेयर तक के वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्तावों के लिए	15,000.00
2.	40.1 से 100 हेक्टेयर तक के वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्तावों के लिए	25,000.00
3.	100.1 से 250 हेक्टेयर तक के वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्तावों के लिए	37,000.00
4.	250 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि के प्रस्तावों के लिए	75,000.00

निजी संस्थानों के प्रकरण

क्र.	श्रेणी	शुल्क (रु.में)
1.	5 हेक्टेयर तक के वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्तावों के लिए	12,500.00
2.	5.1 से 10 हेक्टेयर तक के वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्तावों के लिए	25,000.00
3.	10.1 से 15 हेक्टेयर तक के वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्तावों के लिए	37,500.00
4.	15.1 से 40 हेक्टेयर तक के वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्तावों के लिए	75,000.00
5.	40 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि के प्रस्तावों के लिए	1,00,000.00

3/ उपरोक्तानुसार जमा किया गया पंजीयन/प्रोसेसिंग शुल्क वापसी योग्य नहीं (non-refundable) होगा।

*माधव*  
*सचिव*  
*संयोजक*  
*संयोजक*



मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

*प्रधान*  
*सचिव*  
प्रधान कुमार

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग  
भोपाल, दिनांक 30 जुलाई, 2012

क्रमांक-एफ-5-14/2005/10-3

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश, भोपाल
  2. सचिव (सामन्य) मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश, भोपाल
  3. महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा) मध्यप्रदेश ग्यालियर
  4. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, समस्त विभाग.....
  5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश
  6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी/कार्य आयोजना/सूचना प्रौद्योगिकी, मध्यप्रदेश
  7. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश
  8. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश
  9. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
  10. समस्त वन संरक्षक(क्षेत्रीय) मध्यप्रदेश
  11. समस्त वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय) मध्यप्रदेश
  12. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, वन/राज्य मंत्री जी, वन
  13. गार्ड फाईल
- की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पित।

*सचिव*  
सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-11/2018/10-11/3753

भोपाल, दिनांक 05.12.2018

प्रति,

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
2. समस्त क्षेत्र संचालक (राष्ट्रीय उद्यान)
3. समस्त वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय)/वन्यप्राणी वन मंडल  
मध्यप्रदेश।

विषय:- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत प्रत्यावर्तित वन भूमि में खड़े वृक्षों का विदोहन व्यय आवेदक संस्था से लेने बाबत।

—0—

विभाग में विभिन्न शासकीय विभागों तथा अन्य आवेदकों से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। इन प्रस्तावों में भारत सरकार की स्वीकृति के उपरान्त आवेदक संस्था से विभिन्न राशियां जैसे एन.पी.वी., क्षतिपूर्ति वनीकरण आदि प्राप्त की जाती है। इसके अतिरिक्त आवेदक संस्था यदि भारत सरकार/शासकीय उपक्रम अथवा निजी संस्था है तो प्रकरण में प्रभावित वन भूमि पर खड़े वृक्षों के विदोहन की राशि की मांग भी आवेदक संस्था से की जाती है।

2. वर्तमान में आवेदक संस्था द्वारा वृक्षों के विदोहन की राशि वनमण्डलाधिकारी के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा कराई जाती है। संबंधित वनमण्डलाधिकारी इस ड्राफ्ट को कोषालय में 0406-01-800-0229-विविध व्यय में जमा करा देते हैं।

3. कई वनमण्डलाधिकारियों द्वारा आवेदकों को यह निर्देश दिये जा रहे हैं कि वर्तमान में कोषालय द्वारा डिमाण्ड ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किये जा रहे हैं, अतः वृक्ष कटाई की राशि का भुगतान ऑनलाईन किया जावे।

4. आवेदक संस्था द्वारा वृक्ष कटाई का भुगतान सीधा मध्य प्रदेश कोषालय की वेबसाइट पर जाकर किया जा सकता है। यह भुगतान करने की प्रक्रिया निम्नानुसार की जा सकती है:-

(i) मध्य प्रदेश कोषालय की वेबसाइट [www.mptreasury.org](http://www.mptreasury.org) पर जाकर Cyber Treasury पर क्लिक करें। ऐसा करने पर 15 विभागों के नाम प्रदर्शित होंगे। वन विभाग का नाम इनमें सम्मिलित नहीं है। वन विभाग के लिये सबसे अंतिम में अंकित Other Department पर क्लिक करें।

(ii) Other Department पर क्लिक करने पर सबसे पहले बिन्दु पर विभाग का चयन करना होगा। वन विभाग का नाम अनुक्रमांक 13 पर अंकित है। इस अनुक्रमांक का चयन करने पर राशि का भुगतान वन विभाग को प्राप्त होगा।

(iii) विभाग का चयन करने के उपरान्त बिन्दु क्रमांक 3 पर Office Name में जिस वनमण्डल में राशि का भुगतान किया जाना है, उसे आवेदक द्वारा भरा जायेगा। बिन्दु क्रमांक 4 पर Office Name में जिस वनमण्डल में राशि का भुगतान किया जाना है, वह जिस जिले में आता है, वह आवेदक द्वारा भरा जायेगा।

(iv) बिन्दु क्रमांक 5 में आवेदक अपनी संस्था का नाम अंकित करेगा।

(v) बिन्दु क्रमांक 6 पर Flat/Block No. में आवेदक प्रस्ताव का क्रमांक जैसे FP/MP/ROAD/34732/2018 अंकित करेगा तथा Premises/Building/Village के कॉलम में प्रस्ताव में स्वीकृत वन क्षेत्र का रकबा जैसे 12.43 ha. अंकित करेगा। इस जानकारी से यह सुनिश्चित हो जायेगा कि विदोहन व्यय किस परियोजना के विरुद्ध प्राप्त किया गया है।

(vi) बिन्दु क्रमांक 7 पर आवेदक संस्थान अपनी संस्था का ई-मेल अंकित करेगा। बिन्दु क्रमांक 8 में Head of account में 0406-01-800-0229-विविध व्यय का चयन करेगा।

(vii) बिन्दु क्रमांक 9 में आवेदक उद्देश्यों में Felling Charges का लेख करेगा।

(viii) बिन्दु क्रमांक 10 पर आवेदक जिस वित्तीय वर्ष में भुगतान कर रहा है, का चयन करेगा। उदाहरण के तौर पर इस वित्तीय वर्ष के लिये 2018-19 का चयन करेगा। बिन्दु क्रमांक 11 पर आवेदक जिस माह में भुगतान कर रहा है, का चयन करेगा। उदाहरण के तौर पर यदि भुगतान 5 दिसम्बर को किया जा रहा है तो December का चयन करेगा।

(ix) बिन्दु क्रमांक 12 में विदोहन हेतु भुगतान की जाने वाली राशि का उल्लेख आवेदक करेगा।

(x) उपरोक्त जानकारियां भरने के उपरान्त बिन्दु क्रमांक 13 के अनुसार उपलब्ध बैंको के माध्यम से आवेदक इसका ऑनलाईन भुगतान कर सकेगा। भुगतान होने के बाद आवेदक प्राप्ति रसीद का प्रिंटआउट निकालेगा तथा आपके कार्यालय को प्रस्तुत करेगा। आवेदक द्वारा प्रस्तुत रसीद में CRN क्रमांक अंकित रहता है। इस CRN क्रमांक से कोषालय की वेबसाइट पर जाकर किये गये भुगतान की पुष्टि की जा सकती है।

आवेदक द्वारा वेबपोर्टल पर भरे जाने वाले प्रारूप की एक सेम्पल प्रति तथा राशि जमा होने के उपरान्त प्राप्त रसीद की एक सेम्पल प्रति भी सुविधा की दृष्टि से संलग्न है।

उपरोक्त दिये गये निर्देशों के अनुसार ही भविष्य में आवेदकों से वृक्ष विदोहन की राशि प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

  
05/12/18  
(सुनील अग्रवाल)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल



E-form for (syber) receipt

DEPARTMENT *	Forest
REGISTRATION NO	
OFFICE NAME *	DFO HARDA
DISTRICT *	PS- HARDA (in which circle code is located)
DEPOSITOR / DEALER NAME *	NHA
ADDRESS	
FLAT/BLOCK NO.	FPMP/ROAD/347322
PREMISES / BUILDING / VILLAGE	12.43 HA
ROAD/STREET/LANE	
AREA/LOCALITY	
CITY/DISTRICT	HARDA
STATE	Madhya Pradesh
PIN CODE	
E-MAIL *	nhai.harda@nic.in (FOR SETTING RECEIPT)
HEAD OF ACCOUNT NAME OF ACT *	0406-01-600-0229-Miscellaneous receipts
PURPOSE *	Tree Felling Charges
ASSESSMENT YEAR / CONCERNING YEAR *	2018-2019
ASSESSMENT PERIOD CONCERNING PERIOD *	December
AMOUNT *	222172
BANK NAME *	Click to Select Bank Name

All fields marked with \* are mandatory





13/11/2018

Cyber Treasury



Department of Finance, Government of Madhya Pradesh

Acknowledgement Receipt for Online Tax Payment to M.P.State Government

TIN (Tax payment Identification Number) / Enrollment/Registration No. : null	Depositor/Dealer Name : BRIGHT STONE Address : FP/MP/MRL/52/2018 32.597 Ha. JABALPUR Madhya Pradesh
Head of A/c details : 8121--00--129--0000	Concern Period : From Date: 01/11/2018 To Date: 30/11/2018
Name of Bank : Union Bank Of India	District Name : ANUPPUR
Bank Scroll No. : 31793840	Bank Scroll Date : 13/11/2018
Date and time of Transaction : 13/11/2018 18:22:44	
Amount : 40000	Amount in words : Forty Thousand Only.
Challan Identification No(CIN) : UBIN053837081211311201840276	
Bank Reference No(BRN) : 31793840	
Cyber Receipt No. (CRN) : MPT812113112018000003	
Treasury Challan number : 81214	
Note: Challan search facility is available at <a href="http://www.mptreasury.org">www.mptreasury.org</a>	